GOVT. COLLEGE JAITHARI, DISTT.-ANUPPUR (M.P.)

Pin Code- 484330, Phone- 07659-262413, Email- hegcjaianu@mp.gov.in, Website- http://gcjaithari.ac.in

M.P. Bhoj Open University Bhopal (M.P.)

परिशिष्ट-02

"अनुबंध पत्र"

मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय अधिनियम 1991 की धारा - 5 (viii) (ix) के प्रावधान के अन्तर्गत परिनियम 11 के परिपालन में यह अनुबंध पत्र मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल द्वारा अपने क्षेत्रीय केन्द्र ......शिवा...... के अन्तर्गत नवीन अध्ययन केन्द्र प्रारंभ करने के लिये दोनों पक्षों के मध्य किया जा रहा है।

प्रथम पक्ष: मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल

द्वितीय पक्ष: शासकीय (परिशिष्ट 01 के अनुसार)/अशासकीय महाविद्यालय (प्रबंध मण्डल द्वारा अनुमोदित होने के उपरांत)

अनुबंध की शर्तें निम्नानुसार है:-

1. संस्था के प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। प्राचार्य के त्यागपत्र देने या उनके स्थान पर अन्य व्यक्ति पदस्थ हो जाने पर नये प्राचार्य अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। पूर्व प्राचार्य को अध्ययन केन्द्र स्थापित करने की पात्रता तथा केन्द्राध्यक्ष के रूप में मान्य करने हेतु मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय का निर्णय अंतिम होगा। केन्द्राध्यक्ष अपने स्तर पर अपनी सहयोग के लिये एक समन्वयक की नियुक्ति कर सकता है। जो महाविद्यालय में पदस्थ कोई वरिष्ठ प्राध्यापक स्तर का हो।

2. अध्ययन केन्द्र के संचालन के लिये, अध्ययन केन्द्र, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय की ओर निम्नलिखित उन सभी कार्यों को संपादित करेगा जो मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर आवश्यकता एवं परिस्थिति वश संसूचित किये जायेंगे।

(1) विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया कर प्रवेश फार्म की प्रथम एवं द्वितीय प्रति सम्पूर्ण अभिलेखों सहित क्रमशः क्षेत्रीय केन्द्र और मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के मुख्यालय में निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करते हुये प्रवेश फार्म की तृतीय प्रति को अपने अध्ययन केन्द्र में सम्पूर्ण अभिलेख सहित सुरक्षित रखेंगे।

(2) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय से प्राप्त अध्ययन सामग्री को विद्यार्थियों में वितरित कर यह सुनिश्चित करना की सभी प्रविष्ट विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो गई। यदि नहीं हुई हो तो शीघ्र प्राप्त करने के लिये प्रयास करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा, ताकि विद्यार्थियों को अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध न हो।

(3) शैक्षणिक सत्र में प्रत्येक विषय के 12 सैद्धांतिक कालखण्डों की तथा जिन विषयों में प्रायोगिक कार्य हो उनकी भी 12 कालखण्डों की प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाएं विश्वविद्यालय के अध्यादेश 60/61 के अनुसार लगाने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा। साथ ही इसकी सूचना विश्वविद्यालय सहित संबंधित क्षेत्रीय केन्द्र व विद्यार्थियों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(4) प्रवेशित विद्यार्थियों से सत्रीय उत्तर पुस्तिकाएँ निर्धारित समय सीमा में जमा करा कर क्षेत्रीय केन्द्र को भिजवाने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

(5) प्रवेशित विद्यार्थियों के लिये सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक सम्पर्क कक्षाओं तथा सत्रांत परीक्षा के दौरान पूर्ण स्वच्छ, प्रकाश, जल, शौचालय (छात्र-छात्रायें का अलग अलग) एवं अन्य मूलभूत सुविधाएँ जो अध्ययन केन्द्र के लिये आवश्यक होंगी उपलब्ध कराने का दायित्व भी अध्ययन केन्द्र का होगा।

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
भोपाल

13/08/19

Govt. College Jaithari
Distt. Anuppur (M.P.)

Pin Code- 484330, Phone- 07659-262413, Email- hegcjaianu@mp.gov.in, Website- http://gcjaithari.ac.in

M.P. Bhoj Open University Bhopal (M.P.)

(6) अध्ययन केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष एवं मुख्य स्टाफ सदस्य जैसे समन्वयक, शिक्षकों, एवं विविध आदि सभी को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानदेय राशि का भुगतान विश्वविद्यालय के नियमानुसार किया जावेगा।

(7) अध्ययन केन्द्र विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त अन्य कोई भी राशि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में प्राप्त नहीं करेगा।

(8) अध्ययन केन्द्र के लिए अतिरिक्त अधोसंरचना फर्नीचर, कम्प्यूटर इत्यादि में जो व्यय होगा उसकी प्रतिपूर्ति प्रथम पक्षः विश्वविद्यालय द्वारा की जावेगी।

(9) महाविद्यालय में कुल पंजीकृत विद्यार्थियों से प्राप्त शुल्क का बंटवारा के आधार पर 80 प्रतिशत विश्वविद्यालय में तथा 20 प्रतिशत महाविद्यालय की जनभागीदारी समिति के अकाउण्ट में स्थानांतरित की जावेगी इस राशि में सम्पर्क कक्षायें तथा परीक्षा संचालन शामिल है। जिसका उपयोगिता प्रमाण पत्र अध्ययन केन्द्र द्वारा विश्वविद्यालय को प्रस्तुत करना होगा।

(10) जिन महाविद्यालयों में मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्र स्थानांतरित/स्थापित किये जा रहे है उनकी सूची परिशिष्ट 01 में संलग्न है।

(11) किन्तु यह भी कि किसी महाविद्यालय केन्द्र में विद्यार्थियों का प्रवेश कम संख्या में होता है। तो ऐसी स्थिति में सम्पर्क कक्षाओं एवं परीक्षा संचालन के व्यय की राशि तथा शुल्क अंशदान की अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति विश्वविद्यालय के द्वारा की जावेगी।

(12) अध्ययन केन्द्र के अस्तित्व एवं निरंतरता को बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों के लिये उचित अध्ययन कक्षों, प्रयोगशालाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रदान करने का दायित्व अध्ययन केन्द्र का होगा।

(13) मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा जो मुक्त शिक्षा के उद्देश्य एवं लक्ष्य की पूर्ति हेतु समय-समय पर आवश्यक आदेश विश्वविद्यालय निर्देश विश्वविद्यालय शर्तें जारी किये जायेगें। उनका पालन करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

(14) मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय द्वारा गठित दल को अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित समस्त गतिविधियों सहित अभिलेखों एवं परीक्षा आदि के निरीक्षण में सहयोग करना अध्ययन केन्द्र का दायित्व होगा।

निम्नलिखित परिस्थितियों में विश्वविद्यालय को अध्ययन केन्द्र की मान्यता निरस्त करने का अधिकार रहेगा:-

1. अध्ययन केन्द्र मान्यता प्रावधानों के अनुरूप संचालित नहीं किया जा रहा हो।
2. अध्ययन केन्द्र में किसी भी प्रकार की अनियमितता या असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होने पर।
3. अध्ययन केन्द्र द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रवेशित विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त कोई ऐसी राशि ली जा रही हो जो अनुबंध की शर्तों में विहित प्रावधानों के विपरित हो।
4. विश्वविद्यालय के नियमानुसार सम्पर्क कक्षाओं का संचालन नहीं किया गया तो मान्यता निरस्त।
5. सत्रीय कार्य तथा सत्रांत परीक्षाओं का संचालन सुचारू रूप से नहीं किया जा रहा हो।
6. विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत विद्यार्थियों के लिये प्रदत्त अध्ययन सामग्री का नियमानुसार विद्यार्थियों में वितरण नहीं किया जा रहा हो।
7. विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा हो।
8. अध्ययन केन्द्र द्वारा लेखा का संधारण विश्वविद्यालय नियमानुसार नहीं किया जा रहा हो।

कुलसचिव
म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय
भोपाल

13/08/19

M.P. Bhoj Open University Bhopal (M.P.)

9. ऐसी निजी संस्था जो समिति द्वारा संचालित है द्वारा अपनी मूल समिति को बिना विश्वविद्यालय की अनुमति के अन्य समिति में विलय कर देती है।

10. बिना किसी पूर्व सूचना एवं अनुमति के अध्ययन केन्द्र का स्थान परिवर्तन किये जाने पर।

उपरोक्त कारणों के अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय यदि किसी बिन्दु पर असंतुष्ट है तो मान्यता रद् कर सकता है किन्तु ऐसे किये जाने के पूर्व संबंधित संस्था को पूर्ण सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा।

3. इस अनुबंध की तीन मूल प्रतियों हस्ताक्षर की जा रही है। जिसकी एक प्रति कुलसचिव, मध्यप्रदेश भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, कोलार रोड, भोपाल को दूसरी प्रति द्वितीय पक्षकार प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय जैतहरी को एवं तृतीय प्रति क्षेत्रीय निदेशक, क्षेत्रीय केन्द्र रीवा के अधिपत्य में संधारित की जा रही है जो कि समयानुसार कार्यवाही में उपयोग की जा सकेगी।

4. इस अनुबंध के प्रत्येक पृष्ठों पर दोनो पक्षकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जा रहे है एवं किसी पृष्ठ में कोई काट-छाट नही है।

5. अध्ययन केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष विश्वविद्यालय उपकेन्द्राध्यक्ष व अन्य नियुक्तियों को दिये जाने वाले मानदेय एंव अन्य संबंधित विषयों के निर्णय हेतु परीनियम 11 में दर्शायी गयी समिति अधिकृत होगी।

यह अनुबंध आज दिनांक 13/08/2019 को दोनो पक्षो की सहमति में पूर्ण होशोहवास में एवं गवाहों की उपस्थिति में किया जा रहा है एवं उक्त शर्तो को दोनो पक्षो द्वारा मान्य किया जा रहा है।

कुलसचिव मध्यप्रदेशभोज (मुक्त) विश्वविद्यालय, भोपाल कुलसचिव म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय भोपाल	Principal 13/08/2019 Govt. College Jaithari Dist. Anuppur (M.P.)
गवाह	गवाह
1. डा. शैलेन्द्र कौशिक 2.	1. डॉ० वी० के० सोनवानी 2. Ashok Kumar Rathore (Govt. College Jaithari) 13/08/19